रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/96

REGISTERED NO. DL-33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14, 1996/भाद्र 23, 1918
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14, 1996/BHADRA 23, 1918

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1996

सा. का. नि. 379 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची में, क्रम सं. 4 और 5 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम सं. पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
"4. आशुलिपिक (हिन्दी) (हिन्दी शाखा में पद)	12* (1996) *कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित,	1640-60-2600-द. रो.-75-2909 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों [illegible]

2106GI/96—1

General characteristics
6
Coriander powder shall : (a) be the material obtained by grinding clean, sound, dried and mature fruits of Coriandum sativm L. (b) be free from added colouring matter or any foreign matter; (c) be free from mould growth, insect infestation or musty odour; (d) be free from rancidity off flavour, rodent contamination; (e) Comply with the instructions in regard to aflatoxin content, metallic contaminants and pesticides/insecticides residues, as prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

[F. No. 18011/7/95-M. II]]
PALAT MOHANDAS, Jt. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 386.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम, 1990 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा (संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम, 1990 में,—

(क) अनुसूची-4 के टिप्पण के पश्चात् शब्द "अनुसूची-5" अन्तःस्थापित किया जाएगा।

(ख) अनुसूची 4 और अनुसूची 5 में, टिप्पण (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(4) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपना अर्हक/पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष से इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और जिन्होंने अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि अपने ऐसे कनिष्ठों के साथ जो ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके हैं, सफलतापूर्वक पूरी कर ली है"।

(ग) अनुसूची 5 में ज्येष्ठ समय वेतनमान कार्यपालक निर्माता के पद से संबंधित क्रम सं. 4 के सामने, स्तम्भ संख्या 4 में, "पांच" शब्द के स्थान पर "चार" शब्द रखा जाएगा।

[सं. 12019/1/93-बी(ए)/सं. 12019/1/92-बी(ए)]
विजय शर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 5-11-1990 में सा.का.नि. सं. 892(अ), तारीख 5-11-1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd August, 1996

G.S.R. 386.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Broadcasting (Programme) Service Rules, 1990, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Broadcasting (Programme) Service (Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Broadcasting (Programme) Service Rules, 1990,—

(a) at the end of Note to Schedule IV, the words "Schedule V" shall be inserted;

(b) in Schedule IV and in Schedule V so inserted, after Note (3) the following shall be inserted namely :—

"(4) Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are

being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying|eligibility service by more than half of such qualifying|eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying|eligibility service" ;

(c) in Schedule V so inserted, against serial number 4 relating to the post of Senior Time Scale Executive Producer, in column number 4, for the words "five", the words "four" shall be substituted;

[No. 12019/1/93-B(aA|No. 12019|1|92-B(A)]
VIJAY SHARMA, Under Secy.

FOOT NOTE :—The principal rules were published vide No. G.S.R. 892(E), dated 5-1-1990 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3(i) dated 5-11-1990.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1996

सा.का.नि. 387.—इग्नू अधिनियम, 1985 की धारा 25(2) के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंध बोर्ड 19-3-96 को आयोजित अपनी 46वीं बैठक में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हटाने संबंधी संविधि 19 में खंड (6) के वर्तमान उप-खंड (ख) के बाद, उप-खंड (ग) जोड़ कर संशोधन करता है। इसे मा. सं. वि. मंत्रालय के दिनांक 25-7-96 के पत्र सं. एफ. 5-39/96-यू. 1 (डेस्क) द्वारा कुलाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त है।

"(ग) नियोक्ता प्राधिकारी, गैर शैक्षिक स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी को उसी संस्थान अथवा अन्य संस्थान में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए तकनीकी त्यागपत्र को सूचना-अवधि में छूट प्रदान कर सकता है बशर्ते कि उसने उचित माध्यम से आवेदन किया हो।"

[आई.जी/एडमिन (जी)/एस.टी. 19/96]
तिलक आर. कैम, कुल सचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 30th August, 1996

G.S.R. 387.—In exercise of tht powers vested with it, under the provisions of Section 25(2) of the IGNOU Act, 1985 the Board of Management of the University,, at its 16th meeting held on 19-3-96 had made an amendment to Statute 19 regarding of removal of employees of the University, by adding the following sub-clause (c) after the existing sub-clause (b) of Clause (6). This has the approval of the visitor conveyed vide Ministry of HRD's letter No. F.5-39|96-U.1(Desk) dated 25-7-96.

"(c) the appointing authority may, however, valve the notice period in respect of a non-academic permanent or temporary employee on technical resignation to take up an appointment in the same or other organisation, if he/she has applied through proper channel".

[No. IG/ADMN(G)/ST-19|96]
TILAK, R. KEM, Registrar

संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1996

सा.का.नि. 388.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह "घ" अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह "घ" अराजपत्रित पद) भर्ती संशोधन नियम 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह "ग" अराजपत्रित पद) भर्ती नियम 1968, की अनुसूची में गेस्टेटनर आपरेटर के पद से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—